प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –339 / 2023

अनवान : –

1. प्रभुदयाल पुत्र तिलोकराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. तिलोकराम पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. नत्थुराम पुत्र तिलोकराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. मंजु पुत्री तिलोकराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री संजय जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 22.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 452 / 193 की कुल 3.7436 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा दलुराम के नाम दर्ज थी। उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम उपरोक्त भूमि दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 3 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 2 की बहिन एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा टोपरिया के खाता स0 452 / 193 की कुल 3.7436 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित रहेगे एवं रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर के खाता स0 128 / 26 की भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दे[illegible] आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वा[illegible] वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] प्रतिवादीगण को [illegible] किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने उपस्थित आकर वादी [illegible] वाद को स्वीकार क[illegible] जवाब इकबाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.22 14:23:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमी वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा प्रतिवादी स0 1 के रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी रावतसर में अन्य कृषि भूमि दर्ज है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 452/193 की कुल 3.7436 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा प्रतिवादी स0 1 ने अन्य कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी स0 1 व 2 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 452/193 की कुल 3.7436 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इज[illegible] 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.22 14:23:25 IST
Reason: SelfAttested

शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.22 14:23:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –339/2023
अनवान : –

1. प्रभुदयाल पुत्र तिलोकराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. तिलोकराम पुत्र दलुराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. नत्थुराम पुत्र तिलोकराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. मंजु पुत्री तिलोकराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 339 सन 2023 निर्णय दिनांक 22.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया तहसील नोहर के खाता स0 452/193 की कुल 3.7436 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– मलवानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.22 14:23:25 IST
Reason: SelfAttested